सार्वजनिक सूचना

फॉर्म नं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1 नई दिल्ली के समक्ष

वर्ष 2026 की कंपनी याचिका सं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के संबंध में।

और

यूनिक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जी-10, 1ली मंजिल, कालकाजी, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत-110019 पर स्थित है, के मामले में

...याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से उत्तर प्रदेश राज्य में, कंपनी रजिस्ट्रार, नोएडा के अधिकार क्षेत्र में" उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 26 जनवरी, 2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे दिए गए पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते: बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे:

पंजीकृत कार्यालय: जी-10, 1ली मंजिल, कालकाजी, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत-110019

यूनिक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-	हस्ता./-
अमल झिल्लर	ललित विग
(निदेशक)	(निदेशक)
DIN सं.: 07130353	DIN सं.: 07823071

दिनांक: 28.01.2026, स्थान: नई दिल्ली

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय :- द फेयरवे, भू एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के समीप, छल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071, क्षेत्रीय शाखा कार्यालय :- 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यूईए, आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, दिल्ली- 110005

सरफेसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना

जबकि आप अर्थात निम्नलिखित उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटरों तथा बंधककर्ताओं ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया था। आप सभी के द्वारा की गयी चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अधिनियम के अंतर्गत एक प्रतिभूत ऋणदाता होने के रूप में, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें निम्न स्तंभ सं. 2 में वर्णितानुसार उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं को, सूचनाओं में अंकित राशि का भुगतान सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर करने को कहा गया था, किंतु विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को सूचनायें सर्व / प्राप्त नहीं हो सकीं।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता के नाम	ऋण खाता सं. एवं ऋण राशि	प्रवर्तित की जानेवाली प्रतिभूति के विवरण	एनपीए की तिथि एवं माँग सूचना तिथि	देयराशि रु. में / के अनुसार
1	1) मैसर्स ईश्वर, प्रोपराइटर गायत्री बुध बक्सी, 2) श्रीमती ईश्वर सिंधी (उधारकर्ता), 3) श्रीमती सविता देवी (गारंटर)	ऋण खाता संख्या: 45239440000312 ऋण राशि: रु. 8,20,000/-	अनुसूची-।। : सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण - भाग-'ए' - गिरवी रखी गई चल परिसंपत्तियां: कंपनी के व्यावसायिक परिसर, अर्थात्, मैसर्स ईश्वर, प्रोपराइटर गायत्री बुध बक्सी, मकान संख्या 612, गली संख्या 7, माधव नगर, रेवाड़ी, हरियाणा-123401 में स्थित सभी कच्चे माल और बहीखातों में दर्ज स्टॉक और प्राप्य और बहीखातों में दर्ज ऋणों पर प्रथम प्रभार। भाग-'बी' : गिरवी रखी अचल संपत्ति - अनुसूची संपत्ति: भूमिगत संख्या 97, किला संख्या 15/2/2 मिन (8-4), कुल 1 किला 1/2 भाग 0-4 मरला कवडर 0-2 मरला यानी 57 वर्ग गज, मौजा रेवाड़ी (बादल नगर), तहसील एवं जिला रेवाड़ी में स्थित। [illegible] सीमाएँ इस प्रकार है: पूर्व- [illegible], पश्चिम- श्री रामनाथ की संपत्ति, उत्तर- [illegible], दक्षिण- [illegible]	एनपीए की तिथि: 01.02.2026 मांग सूचना की तिथि: 11-02-2026	रु. 3,31,583.73 (रुपये तीन लाख इकतीस हजार पांच सौ तिरासी तथा तिहत्तर पैसे मात्र) 09.02.2026 तक

अतः उपरोक्त स्तंभ सं. 2 में वर्णितानुसार उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर एवं बंधककर्ता को सूचित किया जाता है और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिवसों के अंदर समस्त संबंधित उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं के समक्ष उपरोक्त स्तंभ सं. 6 में निर्दिष्टानुसार कुल राशि का भुगतान करें, क्योंकि उक्त राशि को उपरोक्त स्तंभ सं. 6 में निर्दिष्ट तिथि के अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भुगतान की तिथि तक भुगतानयोग्य कुल राशि का भावी ब्याज एवं अन्य राशियों के साथ भुगतान नहीं किया जाता है तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड उपर्युक्त स्तंभ सं. 4 में विवरणितानुसार संपत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन हेतु उचित कार्यवाही करने को बाध्य-विवश होगी। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन, विधि-व्यवस्था (ली) के अंतर्गत उक्त फाइनेंशियल के उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं के विरुद्ध जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पास उपलब्ध ऐसे अधिकारों एवं उपचारों के पूर्वाग्रह के बिना प्रकाशित किया जा रहा है। आपसे आगे विनती की जाती है कि इस बिंदु पर ध्यान लगाये कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप पर प्रतिबंध/निषेध लगाया जाता है कि आप प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूति का निस्तारण या संव्यवहार नहीं कर सकते अथवा प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकते।

दिनांक : 26-02-2026, स्थान : दिल्ली एनसीआर | हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

केन फिन होम्स लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd

ऑफिस नं. 02, द्वितीय तल, प्लॉट सं. बी-1, कासना टॉवर, अल्फा-1, कामर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) पिन-201308 मोबाइल सं.: 7625079164, 0120-4569974 ई-मेल: greaternoida@canfinhomes.com, CIN: L85110KA1987PLC008699

[नियम 8(6) के परंतुक देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा केन फिन होम्स लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, ब्रजपाल सिंह भाटी पुत्र कालू राम भाटी (उधारकर्ता) सह उधारकर्ता श्रीमती गीता पत्नी ब्रजपाल सिंह भाटी और श्री विनोद कुमार पुत्र कालू राम भाटी (गारंटर) की तरफ केन फिन होम्स लिमिटेड के 25.02.2026 तक बकाया राशि रु. 12,16,417/- (रु. बारह लाख सोलह हजार चार सौ सत्तरह मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक 31.03.2026 को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य रु.19,00,000/- (रुपये उन्नीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि रु.1,90,000/- (रुपये एक लाख नब्बे हजार मात्र) होगी।

संपत्ति का विवरण

फ्लैट नंबर यूजी-3 अपर ग्राउंड फ्लोर आरएचएस बैक साइड प्लॉट नंबर डी-411 इंद्रप्रस्थ कॉलोनी लोनी गाजियाबाद पिनकोड 201002

सम्पत्ति की चौहद्दी निम्न प्रकार है उत्तर 12 मीटर चौड़ी रोड, दक्षिण: प्लॉट नंबर 344 एवं 345, पूर्व प्लॉट नंबर 410, पश्चिम प्लॉट नंबर 412

ज्ञात भार: शून्य

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें केन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx). पर दी गई है। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक www.bankeauctionwizard.com

तिथि: 25.02.2026 | हस्ता./-
स्थान: ग्रेटर नोएडा | प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

फॉर्म नं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के संबंध में।

और

फ्रीडमपॉइंट एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश में स्थित है, के मामले में

...याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "उत्तर प्रदेश राज्य " से "महाराष्ट्र राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार, 18 फरवरी, 2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे दिए गए पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते: बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे:

पंजीकृत कार्यालय का पता : बी-9, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश

फ्रीडमपॉइंट एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड
की ओर से और उनके लिए
हस्ता./-

दिनांक: 25/02/2026 | हनुमान राम सुथार
स्थान: लखनऊ | निदेशक - DIN : 10781636

प्रपत्र नं. 14

[विनियम -33(2) देखें.]

वसूली अधिकारी कार्यालय-I/ II

ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी-I)

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आरसी/529/2025 | 28.01.2026

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
श्री प्रवीण

सेवा में,

(सीडी 1) श्री प्रवीण पुत्र श्री रवि, कमरा नंबर 10, डॉक्टर्स हॉस्टल, सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली 110023। इसके अलावा: परामर्श कक्ष संख्या 2, खेल चोट केंद्र, सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली 110023। इसके अलावा: ई-278, कल्याण नगर, पेराम्बालूर, तमिलनाडु-611212।

(सीडी 2) मैसर्स रॉयल ग्लोबल अर्थकॉन प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 107, भिवाड़ी, राजस्थान 301707। इसके अलावा: डी-211, वसंत प्लाजा कॉम्प्लेक्स, सबवे के पास, मुनीरका, नई दिल्ली-110067।

यह सूचित किया जाता है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी 1) के पीठासीन अधिकारी द्वारा टीए/1059/2023 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, 27/08/2021 से वसूली तक लंबित और भविष्य के ब्याज 9.10% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित रुपये 4645525.53 की राशि और रुपये 34000 (केवल चौतिस हजार रुपये मात्र) का खर्च आपके (संयुक्त रूप से और अलग-अलग/पूर्ण रूप से/सीमित) के विरुद्ध देय हो गया है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक 02.04.2026 को प्रातः 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।

(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 28.01.2026 को दिया गया।

हस्ता/-
निरंजन शर्मा
वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-I)

प्रपत्र नं. 14

[विनियम -33(2) देखें.]

वसूली अधिकारी कार्यालय-I/ II

ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी-1)

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आरसी/468/2025 | 22.01.2026

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
प्रवीण

सेवा में,

(सीडी 1) प्रवीण पुत्र रवि, कमरा नंबर 10, डॉक्टर्स हॉस्टल, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली-110023। इसके अलावा: एफ-278, कल्याण नगर, पेरामबलूर, तमिलनाडु - 611212। इसके अलावा: परामर्श कक्ष संख्या 2, खेल चोट केंद्र, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली-110023।

(सीडी 2) मैसर्स रॉयल ग्लोबल अर्थकॉन प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 107, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान - 301707। इसके अलावा: डी-211, वसंत प्लाजा कॉम्प्लेक्स, सबवे के पास, मुनीरका, नई दिल्ली - 110067।

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) द्वारा टीए/24/2024 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, रू. **4761454.23** की राशि, बकाया और भविष्य के ब्याज सहित 19/07/2021 से वसूली तक @9.10% चक्रवृद्धि मासिक ब्याज और रुपये **35000**/- (पैंतिस हजार रुपये मात्र) की लागत आपके विरुद्ध देय हो गई है संयुक्त रू-से और अलग-अलग/पूरी तरह से सीमित हो गई है

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक 07.03.2026 को प्रातः 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।

(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 22.12.2026 को दिया गया।

हस्ता/-
रविंद्र कुमार तोमर
वसूली अधिकारी-I
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-I)

प्रपत्र नं.

[विनियम -33(2) देखें.]

वसूली अधिकारी कार्यालय-I/ II

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

पहली मंजिल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़

(तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित है)

आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 53 के तहत बिक्री घोषणा के निपटान हेतु सूचना, ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित। | Exh. No.: 455

आरसी/571/2023 | 15.12.2025

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्री सतबीर सिंह एस/ओ

सेवा में,

(सीडी1) श्री सतबीर सिंह एस/ओ,

निवासी गांव जारौ, तहसील फारुखनगर जिला -

(सीडी2) दयाराम उर्फ दयानंद की पत्नी सुरेश देवी, गांव चकरपुर, तहसील और जिला गुड़गांव हरियाणा की निवासी। -

जबकि को ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) के पीठासीन अधिकारी द्वारा, जिन्होंने ओए/894/2020 में दिनांक 07/08/2023 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया था, आवेदक बैंक/वित्तीय संस्थान (आवेदक का नाम) को रुपये 4066286 (रुपये चालीस लाख छियासठ हजार दो सौ छियासी मात्र) की राशि, मुकदमे के लंबित रहने और भविष्य में @7% की दर से ब्याज सहित, 08/10/2020 से वसूली तक, तथा रुपये 43000 (तैतालिस हजार रुपये मात्र) के खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, और जबकि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जबकि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे वर्णित अचल/अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश पारित किया गया है।

2. आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 13/03/2026 को प्रातः 10:30 बजे बिक्री उद्घोषणा तैयार करने तथा उसकी शर्तें निर्धारित करने हेतु नियत किया गया है। आपसे अनुरोध है कि उक्त संपत्तियों अथवा उनके किसी भाग पर यदि कोई बंधक, भार, दावा या देयता हो, तो उसकी जानकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँ।

संपत्ति का विवरण

कृषि भूमि, जो निम्नानुसार वर्णित है: खेवट संख्या 137 एवं 186, रेक्ट. संख्या 60, किल्ला संख्या 14 (8-0), 16 मिन जनूब (4-0), 24 (8-0), 25 (8-0): रेक्ट. संख्या 68, किल्ला संख्या 3 (8-0), 4 (8-0), 5 (8-0), 6 (8-0), 7 (8-0), 14 (8-0), 15 (8-0), 16 (9-11), 17 (6-7), कुल किता 13, कुल रकबा 99 कनाल 18 मरला, जिसका 1/25 हिस्सा अर्थात 3 कनाल 19 मरला। खेवट संख्या 138, खतौनी संख्या 188, रेक्ट. संख्या 60, किल्ला संख्या 17 (8-0), 18 (8-0), 23 (8-0), कुल किता 3, कुल रकबा 24 कनाल, जिसका 1/25 हिस्सा अर्थात 19 मरला। तथा खेवट संख्या 139, खतौनी संख्या 189, रेक्ट. संख्या 60, किल्ला संख्या 3/2 (7-4): खतौनी संख्या 190, रेक्ट. संख्या 60, किल्ला संख्या 4 (7-11), 7 (8-0), कुल किता 2, कुल रकबा 15 कनाल 11 मरलाय खतौनी संख्या 191, रेक्ट. संख्या 60, किल्ला संख्या 6 (8-0), 15/1 (7-7), कुल किता 2, कुल रकबा 15 कनाल 7 मरलाय तथा खतौनी संख्या 192, रेक्ट. संख्या 60, किल्ला संख्या 5 (7-11); कुल किता 6, कुल रकबा 45 कनाल 13 मरला, जिसका 5/19 हिस्सा अर्थात 2 कनाल 11 मरलाय इस प्रकार कुल 7 कनाल 9 मरला भूमि, ग्राम जराऊ, तहसील फर्रुख नगर, जिला गुरुग्राम, जमाबंदी वर्ष 2009-2010 के अनुसार।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 15.12.2025 को दिया गया।

हस्ता/-
वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रपत्र नं. 14

[विनियम -33(2) देखें.]

वसूली अधिकारी कार्यालय-I/ II

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

पहली मंजिल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित है)

डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आरसी/1428/2025 | 29.12.2025

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
श्री. दया राम

सेवा में,

(सीडी 1) श्री. दया राम पुत्र श्री. लेले राम निवासी 21, गांव बिहारहेड़ी रेहना, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा

(सीडी 2) श्री. जसविन्दर पुत्र श्री. जुगलाल, निवासी बिहारहेड़ी रेहना, रो, जसात, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा

यह सूचित किया जाता है कि **पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)** द्वारा OA/810/2018 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **24/04/2018** से वसूली तक **@11.25%** की चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ लंबित और भविष्य के ब्याज सहित **रुपये-1689819 (सोलह लाख नवासी हजार आठ सौ उन्नीस रुपये मात्र)** और **19005 रुपये (उन्नीस हजार पांच रुपये मात्र)** का खर्च आपके (संयुक्त रूप से और अलग-अलग/पूर्ण रूप से/सीमित) विरुद्ध देय हो गया है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक 16.03.2026 को प्रातः 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।

(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 29.12.2025 को दिया गया।

हस्ता/-
वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रपत्र नं. 14

[विनियम -33(2) देखें.]

वसूली अधिकारी कार्यालय-I/ II

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

पहली मंजिल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित है)

डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आरसी/1428/2025 | 29.12.2025

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
श्री. ब्रह्म प्रकाश

सेवा में,

(सीडी 1) श्री. ब्रह्म प्रकाश पुत्र श्री. रंग लाल निवासी गांव कलालपुरी, तहसील टौरू, जिला मेवात, हरियाणा

(सीडी 2) श्री. राकेश कुमार पुत्र श्री. कल्याण सिंह निवासी गांव जटौली, हेली मंडी, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)** द्वारा OA/4969/2017 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, 28/09/2017 से वसूली तक **@11.65%** मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मुकदमे के दौरान और भविष्य के ब्याज सहित **रुपये -1053495 (दस लाख तिरपन हजार चार सौ पचानवे रुपये मात्र)** की राशि और **रुपये -13005 (तेरह हजार पांच रुपये मात्र)** का खर्च आपके (संयुक्त रूप से और अलग-अलग/पूर्ण रूप से/सीमित) विरुद्ध देय हो गया है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक 20.03.2026 को प्रातः 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।

(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 14.01.2026 को दिया गया।

हस्ता/-
वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा,
एसएमई कुंडली
ई-मेल: SSIKUN@bankofbaroda.bank.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना।

परिशिष्ट IV-A [नियम 6(2) और 8(6) के प्रावधानों को देखें]

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6(2) और 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनः निर्माण और प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सामान्य जनता को आम तौर पर और कर्जदारों, रेहनकर्ताओं व गारंटरों को विशेष तौर पर एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतिभूतित ऋणदाता को बंधिकृत/प्रभारित अचल संपत्ति, जिनका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, उनकी बिक्री नीचे वर्णित खाते में देय वसूली के लिए "जैसी है जहां है","जैसी है जो कुछ है" और "जो कुछ यहां मौजूद है" के आधार पर की जाएगी। कर्जदारों/रेहनकर्ताओं/गारंटरों/प्रतिभूतित परिसंपत्तियों/देयताओं/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि नीचे वर्णित हैं:-

क्र/लॉट नं.	कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ता का नाम और पता	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण दें, यदि कोई ज्ञात देनदारी हो तो उसका भी उल्लेख करें (बैंक ऑफ बड़ौदा, एसएमई कुंडली द्वारा गिरवी रखी गई)	कुल बकाया (रु.) (बकाया राशि + अनसर्विस्ड ब्याज + अप्रयुक्त ब्याज + लागू शुल्क सहित) 04.01.2026 तक	1) ईएमडी जमा खाता सं. 2) आईएफएससी कोड 3) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा 4) कब्जे की स्थिति	1) ई-नीलामी की तिथि 2) ई-नीलामी की समय और समपान समय	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1) आरक्षित मूल्य 2) धरोहर राशि (ईएमडी) 3) बोली वृद्धिशील राशि
01	मै. सनशाइन एम्ब्रायडरी प्रो. अमन त्यागी पुत्र मुनेश कुमार गारंटर:- श्रीमती सीमा पत्नी श्री मुनेश कुमार और श्री मुनेश कुमार	संपत्ति 1- खेवट नंबर 758/655, खाता नंबर 901, किला नंबर 38/17/28 हरिजन कॉलोनी बरही गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा 131001 की संपत्ति श्रीमती सीमा पत्नी मुनेश कुमार के नाम पर है। संपत्ति 2- खेवट नंबर 759/655, खाता नंबर 902, खाता नंबर 38/17/30 हरिजन कॉलोनी बरही गनौर, सोनीपत, हरियाणा 131001 की संपत्ति श्रीमती सीमा पत्नी मुनेश कुमार के नाम पर है।	रुपए 25,10,204.00 (पच्चीस लाख दस हजार दो सौ चार रुपये मात्र) + इस पर आगे का ब्याज और शुल्क (05.01.2026 से)	1) 26500015181869 2) BARB0SSIKUN (पांचवां अक्षर शून्य है) 3) बैंक ऑफ बड़ौदा, जीटी करनाल रोड, माखनभोग के पास, कुंडली सोनीपत हरियाणा 131028 4) भौतिक कब्जा	1) 24.03.2026 2) अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक	16.03.2026 से 23.03.2026 तक (सरकारी छुट्टी को छोड़कर, पहले से अपॉइंटमेंट लेने पर सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक)	संपत्ति-1) 1) 14,00,000.00 रुपये 2) 1,40,000.00 रुपये 3) 20,000.00 रुपये; संपत्ति-2 1) 14,00,000.00 रुपये 2) 1,40,000.00 रुपये 3) 20,000.00 रुपये
02	श्री धर्मेन्द्र पुत्र महावीर	किला नंबर 102/17/1, 18/1 सिंघु बॉर्डर के पास, कुंडली जीटी रोड, कुंडली जिला सोनीपत-131028 से बाहर की संपत्ति।	रुपए 4,07,826.00 (चार लाख सात हजार आठ सौ छब्बीस रुपये मात्र) + इस पर आगे का ब्याज और शुल्क (05.01.2026 से)	1) 26500015181869 2) BARB0SSIKUN (पांचवां अक्षर शून्य है) 3) बैंक ऑफ बड़ौदा, जीटी करनाल रोड, माखनभोग के पास, कुंडली सोनीपत हरियाणा 131028 4) भौतिक कब्जा	1) 24.03.2026 2) अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक	16.03.2026 से 23.03.2026 तक (सरकारी छुट्टी को छोड़कर, पहले से अपॉइंटमेंट लेने पर सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक)	1) 5,00,000.00 रुपये 2) 50,000.00 रुपये 3) 10,000.00 रुपये

बिक्री के नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक https://www.bankofbaroda.in/e-auction और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल Baanknet.com देखें/देखें। साथ ही, बोली लगाने वाले प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर +91-8398000988 पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 25.02.2026 | स्थान: कुंडली | प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

SMFG India Credit

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय क्रमांक 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई -400051

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग निम्नलिखित कर्जदारों को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(एं) जारी की थी। अधोहस्ताक्षरी को तार्किक रूप से विश्वास है कि कर्जदार माँग सूचना(ओं) की सेवा की अनदेखी कर रहे हैं अतः सूचना की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाकर तथा प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। माँग सूचना(ओं) की विषय सामग्री निम्नवत है :

कर्जदारों के नाम	माँग सूचना की तिथि एवं राशि
1. स्वर्गीय मोहम्मद चांद के अज्ञात कानूनी उत्तराधिकारी 1. 2. परवीन पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद चांद (मृतक श्री मोहम्मद चांद का कानूनी उत्तराधिकारी) 3. परवीन लैन-268720911676712	17 फरवरी, 2026, 06/02/2026 तक रु. 29,85,741 (रुपये उनतीस लाख पिचासी हजार सात सौ इकतालीस मात्र)
बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	
एक ही मकान का समस्त भाग पश्चिम और दक्षिण की ओर, प्लॉट नंबर 01 पर निर्मित, 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर, संबंधित खसरा नं. 508, दारआशीर्वाद मैसन, परगना, तहसील और जिला सहारनपुर, दार आबादी नई चांद कॉलोनी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएं:- पूर्वः प्लॉट नंबर 01 का बाकी हिस्सा, पश्चिम: रास्ता 22 फीट यानी 6.70 मीटर चौड़ा, उत्तरः प्लॉट नंबर 01 का बाकी हिस्सा, दक्षिण: रास्ता 20 फीट यानी 6.09 मीटर चौड़ा	
कर्जदारों के नाम	**माँग सूचना की तिथि एवं राशि**
1. गौरव रघुवंशी 2. यशवीर सिंह लैन-191301311681204	20 फरवरी, 2026 5 फरवरी, 2026 तक रु. 6351122 (रुपये तिरसठ लाख इक्यावन हजार एक सौ बाईस मात्र)
बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	
सम्पत्ति के मालिक: गौरव रघुवंशी सम्पत्ति का विवरण: मकान नंबर 98/2 और 84 कुल माप 274.85 वर्ग गज या 229.90 वर्ग मीटर दो प्लॉट पर बना है, जिसका पहला हिस्सा 137.20 वर्ग गज या 114.76 वर्ग मीटर का है (पूर्व में 15 फीट 4.5 इंच, पश्चिम में: 17 फीट 2 इंच, उत्तर में: 76 फीट 1 इंच, दक्षिण में: 76 फीट) और दूसरा हिस्सा 137.65 वर्ग गज या 115.14 वर्ग मीटर (पूर्व 15 फीट 5 इंच, पश्चिम: 17 फीट 5 इंच, उत्तर: 76 फीट, दक्षिण: 75फीट 5 इंच) मोहल्ला बाजरा नई बस्ती आबादी, परगना शामली, तहसील और जिला शामली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुल सीमा: पूर्वः सड़क 26.6फीट चौड़ी, पश्चिम: प्लॉट शाह एह नवाज, उत्तर: मकान मोमिन, दक्षिण, मकान यामिन।	
कर्जदारों के नाम	**माँग सूचना की तिथि एवं राशि**
1. अर्चना नरेंद्र कुमार 2. नरेंद्र कुमार लैन-262620911681693	18 फरवरी, 2026 5 फरवरी, 2026 तक रु. 2056109/- (रुपये बीस लाख छप्पन हजार एक सौ नौ मात्र)
बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	
सम्पत्ति की मालिक: अर्चना तोमर। सम्पत्ति का विवरण: रिहायशी घर मोहल्ला फर्रुखपुर मझौआजा में स्थित है, गाटा नं. 361 का पहला हिस्सा, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली, माप 120.81 वर्ग मीटर उत्तर प्रदेश। सीमाएं: पूर्वः रास्ता 3.62 मीटर चौड़ा खरंजा इंटर लॉकिंग, पश्चिमः मकान रजनीश और बैरिस्टर, उत्तरः अरजई श्री रमा कांत यादव, दक्षिण: मकान श्री महेंद्र पाल सिंह	
कर्जदारों के नाम	**माँग सूचना की तिथि एवं राशि**
1. उदम सिंह सैनी 2. रीना सैनी लैन-268721311825988, 268720912219965	20 फरवरी, 2026 9 फरवरी, 2026 तक तक रु. 9950895.06/- (रुपये निन्यानवे लाख पचास हजार आठ सौ पंचानवे और छह पैसे मात्र)
बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	
घर का वह पूरा हिस्सा जिसका माप 285.18 वर्ग मीटर है और कवर्ड क्षेत्रफल 183.94 वर्ग मीटर, टीन शेड/फाइबर छत के साथ मीटर पूर्व 51'8", पश्चिम 51'8" उत्तर 58'10" और दक्षिण 60', संबंधित खसरा संख्या 55 मिन, गाँव हसनपुर कदीम, परगना, तहसील और जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएँ पूर्वः राजकुमार का प्लॉट, पश्चिम: यशवंत का घर उत्तरः सड़क 28 फुट यानि 8.53 मीटर चौड़ी, दक्षिण: तेलु राम की जमीन जैसा कि 24.12.2029 के उपहार विलेख में वर्णित है, उस पर खड़े ढांचे के साथ (वर्तमान में एक घर बना हुआ है, एमपीएल नंबर डीआर/2वी, माप 341.09 वर्ग गज, यानी 285.18 वर्ग मीटर, माप पूर्व 51'8", पश्चिम 51'8" उत्तर 58'10" और दक्षिण 60', खसरा नंबर 55 मीटर से जुड़ा, गांव हसनपुर कदीम, परगना, तहसील और जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित। सीमाएं: पूर्वः राजकुमार का प्लॉट, पश्चिम: यशवंत का घर उत्तरः रास्ता 28 फुट यानी 8.53 मीटर चौड़ा, दक्षिण: तेलु राम की जमीन), एक अचल संपत्ति होने के नाते और प्रतिभूत संपत्ति का हिस्सा बनने के लिए प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में गिरवी रखी गई है।	
कर्जदारों के नाम	**माँग सूचना की तिथि एवं राशि**
1. इमरान मुश्ताक 2. गुलशाना बेगम लैन-268720911353517	20 फरवरी, 2026 13 फरवरी, 2026 तक रु. 2079567/- (रुपये बीस लाख उन्यासी हजार पांच सौ सड़सठ मात्र)
बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	
पश्चिम की ओर एक घर का वह समस्त भाग, मुंदराजा नगर निगम नंबर 6/5403?/15 प्लॉट नंबर 75वी पर बना है, खसरा नंबर 627,628 और 629 में, जिसका माप 83.61 वर्ग मीटर है यानी 100 वर्ग गज, दारा मिल्काना स्वाद बैकन परगना, तहसील और जिला सहारनपुर दर आबादी, दिनेश विहार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएं: पूर्वः दूसरे का घर, पश्चिम: रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर: समशाद का घर, दक्षिण: निगार का घर।	
कर्जदारों के नाम	**माँग सूचना की तिथि एवं राशि**
1. चंचित संजय कुमार 2. संजय कुमार 3. जगवती विजय कुमार लैन-211120911470011	20 फरवरी, 2026 5 फरवरी 2026 तक रु. 2515020/- (रुपये पच्चीस लाख पंद्रह हजार बीस मात्र)
बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	
सम्पत्ति की मालिक: जगवती पत्नी विजय कुमार वर्मा। सम्पत्ति का विवरण: सम्पत्ति नगर पालिका समिति हरिद्वार के अंतर्गत आती है, जिसका माप 962 वर्ग फीट (पूर्व 37 फीट, पश्चिम 37 फीट, उत्तर 26 फीट, दक्षिण 26 फीट) खसरा नं. 339, सतीघाट कनखल परगना ज्वालापुर, हरिद्वार में है। इसके सीमाएं: पूर्वः मेरी सम्पत्ति, पश्चिम: 8फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: सड़क, दक्षिण: कमलेश देवी की सम्पत्ति।	
कर्जदारों के नाम	**माँग सूचना की तिथि एवं राशि**
1. सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स 2. सुनील कुमार जैन 3. अंजलि जैन 4. अमित कुमार लैन-212220911423486	18 फरवरी, 2026 5 फरवरी, 2026 तक रु. 2287089/- (रुपये बाईस लाख सत्तासी हजार नवासी मात्र)
बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	
1. एक प्लॉट का वह समस्त भाग, म्युनिसिपल नंबर 25/324 क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 120.59 वर्ग यार्ड यानी 100.46 वर्ग मीटर में से 50.23 वर्ग मीटर, नगर निगम बड़ौत, परगना और तहसील बड़ौत, जिला: बागपत, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पश्चिम आबादी कस्बा बड़ौत मोहल्ला बुज ब्राह्मण पट्टी चौधरन की ओर स्थित है। सीमाएं: पूर्व: 3 फुट चौड़ी सड़क पश्चिम: रोशन धोबी का मकान उत्तर: मकान खरीदार दक्षिण: अमित जैन का प्लॉट 2. एक प्लॉट का वह समस्त भाग नगर निगम संख्या 25/315 क्षेत्रफल 50.23 वर्ग मीटर में से कुल क्षेत्रफल 120.159 वर्ग गज यानी 100.46 वर्ग मीटर, पश्चिम आबादी कस्बा बड़ौत मोहल्ला बुज ब्राह्मण पट्टी चौधरन की ओर नगर निगम बड़ौत, परगना और तहसील बड़ौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश के इलाके में स्थित है। सीमाएं: पूर्वः 3 फुट चौड़ी सड़क पश्चिम: रोशन धोबी का घर उत्तर: घर खरीदने वाला, दक्षिण: अमित जैन का प्लॉट	
कर्जदारों के नाम	**माँग सूचना की तिथि एवं राशि**
1. कोमल सैनी 2.सुभाष चंद लैन-214720911347230	20 फरवरी, 2026 5/2/2026 तक रु. 2550319/- (रुपये पच्चीस लाख पचास हजार तीन सौ उन्नीस मात्र)
बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	
सम्पत्ति की मालिक: कोमल सैनी सम्पत्ति का विवरण: औद्योगिक जमीन कुल माप 288.15 वर्ग मीटर, (पूर्व 36 फुट 6 इंच, पश्चिम 41 फुट 6 इंच, उत्तर 79 फुट दक्षिण 80 फुट) 172.86 वर्ग मीटर के कवर्ड एरिया के साथ, जिसमें 80 वर्ग मीटर शामिल है, खसरा नंबर 1028, 121 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1075 में और 87.15 वर्ग मीटर खसरा नं. 1083/1 मिन में, कुल मिलाकर मौजा सलेम पुर, राजपुताना वार्ड नंबर 24, (वर्तमान में सीमानगर निगम रुड़की के भीतर) रुड़की, हरिद्वार से सीमाएं: पूर्व: 18 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम: वीर सिंह की भूमि, उत्तर: फैक्ट्री रमन ग्रोवर, दक्षिण: 18 फुट चौड़ी सड़क	

कर्जदारों को माँग सूचना(ओं) का अनुपालन करने तथा उसमें यहाँ ऊपर उल्लिखित माँग राशि को भुगतान की वसूली की तिथि तक प्रयोज्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस प्रभार, लागत तथा व्यय के साथ इस प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर अदा करने का परामर्श दिया जाता है। कर्जदार कृपया ध्यान दें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार(रों) द्वारा ली गयी ऋण सुविधा कर्जदार(रों) द्वारा बन्धककृत प्रतिभूत आस्ति(यों) होने के कारण अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिभूत ऋण है।

यदि कर्जदार निर्धारित समय-सीमा में अपनी देयताएं चुकाने में असफल रहते हैं तो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट बिक्री द्वारा अथवा अधिनियम तथा उसके तहत नियमों के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपचार द्वारा सीमित किन्तु सीमित नहीं, अन्तरण सहित प्रतिभूत आस्ति(यों) का कब्जा लेने हेतु अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त अधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी होगा और भुगतान की वसूली करेगा। [illegible]

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सम्बन्ध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर तथा अधिनियम की धारा 13(13) आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा कर्जदार एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की लिखित पूर्व सहमति के बिना प्रतिभूत आस्ति(यों) का निस्तारण या उससे संव्यवहार अथवा किसी भी प्रतिभूति आस्ति की बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से अन्तरण (सामान्य व्यवसाय की प्रक्रिया को छोड़कर) नहीं कर सकेगा और उपर्युक्त का अनुपालन न करना कथित अधिनियम की धारा 29 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। माँग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार, यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से कार्यालयी घण्टों के दौरान किसी भी कार्यकारी दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : सहारनपुर/शामली/फरीदपुर/हरिद्वार/बड़ौत/बागपत | हस्ता./-, अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 26.02.2026 | एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड